Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : वासुदवे मालावत

अपील प्रकरण सं0 67/14

स्थगन प्रार्थना पत्र

उपस्थित : श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलान्ट(प्रार्थी)
श्री बलकरणसिंह बराड़, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक 05-12-14

स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि सिविल कोर्ट में केस विचाराधीन है। यदि जमीन आगे बेच दी जाती है तो अपीलांट का नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलांट ने बैयनामा निरस्त करवाने के लिए दावा सिविल कोर्ट में पेश कर रखा है। प्रथमदृष्टया केस अपीलांट के पक्ष में है। विवादग्रस्त भूमि चक 7 पीटी(बी) प0 नं0 247/359 मु0 नं0 17 कि0 नं0 9–10–11–12 ता 15 कुल 1.949 है0 जद्दी जायदाद है, जिसमें अपीलांट का जन्म से अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखते हुए भूमि को रहन बैय न करने व मौके की यथास्थिति को बनाये रखने हेतु आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सिविल कोर्ट में बैयनामा को निरस्त कराने का वाद विचाराधीन है। बैयनामा के द्वारा भूमि क्रय की गई है। यदि अपीलकृत भूमि का बेचान हो गया तो अपीलांट का नापूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलकृत इंतकाल बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है और बैयनामा को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि पर कब्जा उनका है। सिविल न्यायालय द्वारा टी0 आई0 अपीलान्ट के पक्ष में अस्वीकार की गई है। अपीलांट के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू साबित नहीं हैं। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवादित है कि विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है। इस तथ्य को अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस भी स्वीकार किया है। अपीलकृत इंतकाल बैयनामा के आधार पर दिनांक 12–9–14 को खोला जाकर दिनांक 15–9–14 को स्वीकृत किया गया है और उसी बैयनामा को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादग्रस्त आराजी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग व सिचॉई सुविधा में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने से बाव व ममनू रहने व अपने हितबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से

प्रशासन)
ज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बेदखल कर किसी अन्य को मुन्तकिल करने से बाज व ममनू खारिज किया गया है। इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी मुन्तकिल के बिन्दू पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में उपरोक्त तीनों बिन्दू साबित नहीं होते हैं।

फलस्वरूप, अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश आज दिनांक 5-12-14 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर (राज.)